दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 482
टैलीफैक्स/Telefax : 0177-2651 419

तार/Telegram : हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail : dco-him.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

सत्यमेव जयते

भारत सरकार, गृह मन्त्रालय
Government of India, Ministry of Home Affairs
निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश
Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, हिमाद्रि खण्ड, लौंगवुड, शिमला-171 001 C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

सं. डी.सी.ओ.एच.पी–15/2009 –(IV) दिनांक: 15 MAR 2011

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला स्थित कार्यालय को जनगणना 2011 के द्वितीय चरण के अनुसूचियों से भरे कोरूगेटेड बॉक्स को अभिलेख कक्ष में व्यवस्थित रूप से रखने हेतु लगभग 76 स्टील रैक्स क्रय करने के लिए सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित है जोकि इस कार्यालय में दिनांक 24.03.2011 तक पहुंच जानी चाहिए । स्टील रैक्स का विवरण निम्नानुसार है :–

Material: Metal shelving Racks(Adjustable Type) made up of Mild Steel Sheets (C.R. Sheet) Grade "O"

Dimension: 98" (2489mm) height X 42" (1057mm) width (inner side)X18"(457mm)depth;

Thickness: Angle (35mmX 35mm) of 2mm (14 gauze) & shelf of 1 mm(20Gauze)

Compartment: Six compartments(7 shelves) with clear space height of 15" (381mm) in each compartment

स्टील रैक्स की अधिकतम कीमत प्रति नग 4400/– (समस्त कर एवं अन्य व्यय सहित)

1.साम्रगी प्रदाय

क्रयादेश जारी करने के 20 दिवस के अंदर जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला में प्रदाय किया जाना होगा जिसका परिवहन व्यय संबंधित फर्म द्वारा देय होगा। निविदा के साथ रू. 35000/–रू. सुरक्षा राशि (Earnest Money) संबंधी ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाना होगा जो कि अकाउण्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ. हिमाचल प्रदेश, शिमला के नाम (Director, D.C.O. Himachal Pradesh, Shimla) से तथा शिमला में देय हो।

2. **<u>निविदाकर्त्ता हेतु योग्यताऐं एवं आवश्यक दस्तावेज</u>**

अ. वित्त वर्ष 2009–10 की अंकेक्षित बैलेंस शीट (Audited Balance Sheets) एवं इसी वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा।

ब. बिडर (Bidder) को व्यापर करने के लिए गवर्नमेंट/म्यूनिसीपल अथारिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए।

स सेल्स टेक्स/वेट क्लीयरेन्स सहिफिकेट निविदा के साथ जमा किया जाना होगा।

द निविदा के साथ सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) संबंधी डिमान्ड ड्राफट संलग्न किया जाना होगा।

नोटः– बिडर (bidder) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के किसी कार्यालय द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

3 **निविदा जमा/ खोलने की तिथि**

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश, सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, हिमाद्रि खण्ड, शिमला–171001 में दिनांक 24.03.2011 को सुबह 11.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक 24.03.2011 को 11.30 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा। निविदा के साथ बिन्दु 2 में उल्लेखित उप बिन्दु 'अ' से 'स' के समर्थन में स्व–सत्यापित दस्तावेज लगाना होगा। इसके अभाव में संबंधित निविदाकर्त्ता का निविदा निरस्त कर दिया जायेगा। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

4. **<u>सुरक्षा राशि की वापसी</u>**

असफल निविदाकर्त्ताओं की सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposist) क्रयादेश अवार्ड करने के 30 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी। उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

5 **अवार्ड करने की प्रकिया एवं प्रदाय की अवधि**

क्रय समिति द्वारा अनुशंसित L1फर्म को पहले स्टील रैक्स का एक नमूना निदेशालय में प्रदाय किया जाना होगा। क्रय समिति द्वारा नमूने की सपेशिफिकेशन के अनुसार संतुष्टि उपरांत अनुशंसित करने पर कयादेश जारी किया जायेगा। क्रय समिति द्वारा नमूने को अस्वीकार किये जाने की स्थिति में L2, इसके बाद क्रमशः L3 आदि के द्वारा प्रदत्त दर एवं नमूने पर विचार किया जा सकता है। अंतिम रूप से अवार्ड किये गये फर्म को एक माह के अंदर जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश, सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, हिमाद्रि खण्ड, शिमला में रैक्स प्रदाय किया जाना होगा।

6 **भुगतानः–**

रैक्स आपूर्ति उपरांत संख्या, गुणवत्ता, आदि से पूर्ण संतुष्टि उपपरांत रैक्स प्रदाता फर्म द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत देयक के आधार पर जनगणना कार्य निदेशालय शिमला द्वारा भुगतान किया जायेगा।

7. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद/परिवाद भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर की मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे। आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/बाध्यकारी होगा।

8 निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पास सुरक्षित होगा।

(डी.डी.शर्मा)
सहायक निदेशक जनगणना कार्य,
हिमाचल प्रदेश, शिमला